

न्यायालय—द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद

(समक्ष :- पी0सी0आर्य)

प्रकरण क्रमांक: 23ए/2017ई0दी0

संस्थापन दिनांक— 30/06/14

फाईलिंग नंबर—आर0सी0एस0ए/103/2017

सन्जु खां पुत्र पप्पू खां आयु 26 साल  
जाति मुसलमान निवासी लक्ष्मण तलैया  
वार्ड नंबर 05 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....वादी

वि रू द्ध

श्रीमती रूबी पुत्री भीकम खां पत्नी  
सन्जु खां आयु 24 साल जाति मुसलमान  
निवासी रसीदपुरा थाना रतवाई  
जिला ग्वालियर म0प्र0

.....प्रतिवादिनी

वादी द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
प्रतिवादिनी पूर्व से एकपक्षीय।

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 08 मार्च 2017 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादिनी के विरुद्ध दाम्पत्य संबंधों के पुर्नस्थापन के अधिकार की आज्ञाप्ति प्रदान किए जाने बाबत प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादिनी द्वारा लिए गए जेवरात व पांच हजार रूपए भी वापिस दिलाए जाने की सहायता चाही है।
2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है, कि प्रकरण के पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित है।
3. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है, कि उसका प्रतिवादिनी से सामाजिक प्रथा अनुसार निकाह हुआ था, और प्रतिवादिनी उसकी विवाहिता पत्नी है, तथा निकाह पश्चात वे पति पत्नी के रूप में लक्ष्मण तलैया गोहद में एक साथ निवासरत रहे थे घर में आपसी विवाद होने के चलते प्रतिवादिनी ने अपने पिता को सूचना की थी, जिस पर से प्रतिवादिनी को उसका पिता दिनांक 20/05/14 को अपने

साथ लिवा ले गया था और प्रतिवादिनी पांच हजार रुपए नकद व गहने कपड़े आदि जिसमें सोने की बेसर चार आना भर, एक जोड़ी सोने के बाला आठ आना भर, एक सोने का आठ आना भर मंगलसूत्र, ढाई सौ ग्राम चांदी की पाजेबें और ढाई सौ ग्राम चांदी की करधोनी लेकर गई थी, उसके पश्चात अनेक प्रयासों के बावजूद वह उसके साथ रहने नहीं आई और दाम्पत्य संबंधों का पालन नहीं किया, अंतिम बार लक्ष्मण तैलया गोहद में प्रतिवादिनी उसके साथ बतौर पत्नी रही थी, इस कारण दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना के लिए एवं ले जाए गए रुपए एवं जेवरात की वापिसी हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया है।

4. प्रतिवादिनी उक्त प्रकरण में सम्यक् तामीली पश्चात दिनांक 12/08/14 को उपस्थित हुई थी और तत्पश्चात जरिए अभिभाषक उपस्थित रही मूल वाद के जबाब हेतु अनेक अवसर प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 04/01/17 को अकारण अनुपस्थित हो गई जिससे उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संहस्थित की गई है उसकी ओर से कोई वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. प्रकरण एकपक्षीय होने से मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है, कि—

1. क्या प्रतिवादिनी द्वारा मुस्लिम विधि का अपालन कर दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन बगैर किसी युक्तियुक्त हेतुक के नहीं कर रही है यदि हां तो प्रभाव ?

#### —::—सकारण निष्कर्ष—::—

6. वादी की ओर से प्रस्तुत की गई एकपक्षीय साक्ष्य में केवल मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जिसमें स्वयं वादी सन्जु खां व0सा0-01 तथा श्रीमती मीना पत्नी शहजाद खां वा0सा0-02 के शपथपत्री अभिसाक्ष्य पेश किए गए हैं, वा0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में मुख्यरूप से यह बताया है, कि प्रतिवादिनी के साथ उसका समाजिक प्रथा अनुसार निकाह हुआ था, और वे पति पत्नी के रूप में एक साथ निवासरत रहे थे, घर में थोड़ा आपसी विवाद हो गया था, उसी विवाद के चलते प्रतिवादिनी ने अपने पिता को सूचना की थी, और तत्पश्चात प्रतिवादिनी का पिता दिनांक 20/05/14 को उसे अपने साथ लिवा ले गया था, तब प्रतिवादिनी पांच हजार रुपए नकद एवं सोने चांदी के जेवरात जिनका उल्लेख मूल वादपत्र में किया गया है, वे लेकर चली गई थी, उसके पश्चात वह वापिस नहीं आई और कई बार वह लेने के लिए भी गया, लेकिन प्रतिवादिनी ने आने से इन्कार कर दिया, जिससे वह दाम्पत्य अधिकारों से वंचित हो गया है, जब प्रतिवादिनी उसके साथ गोहद में दिनांक 19/05/14 तक रही थी, तब दाम्पत्य अधिकारों का

उसने पालन किया था, और प्रकरण न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में है।

7. श्रीमती मीना वा0सा0-02 ने अपने अभिसाक्ष्य में वादी सन्जु खां को अपना देवर बताते हुए प्रतिवादिनी से वादी का समाजिक प्रथा अनुसार निकाह होने तथा प्रतिवादिनी का अपने पिता के साथ जाते समय रूपए व जेवरात ले जाने का समर्थन किया है।
8. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में मूलतः यह बताया है, कि वादी की एकपक्षीय मौखिक साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं है, जिससे वादी के आधार एकपक्षीय रूप से प्रमाणित है और उसके पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों के पुर्नस्थापन की डिक्री प्रदान की जाए प्रतिवादिनी को वादी के पास आकर पत्नी के रूप में पत्नी धर्म का पालन करने एवं ले जाए गए जेवरात व रूपए भी लौटाए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
9. अभिलेख पर वादी की एकपक्षीय मौखिक साक्ष्य का खण्डन प्रतिवादिनी के एकपक्षीय हो जाने से नहीं है, किंतु केवल एकपक्षीय होने मात्र के आधार पर वादी का वाद डिक्री योग्य तब तक नहीं होगा जब तक कि वह लिए गए आधारों को विधिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं करता है।
10. जहां तक प्रस्तुत किए गए मूल वाद की क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रश्न है, निकाह जिस स्थान पर होता है, वहां की क्षेत्रीय अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकता है, और अंतिम बार पति पत्नी के रूप में जिस स्थान पर रहे हों वहां की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय में भी वाद प्रचलन योग्य हो सकता है, मूल वाद में निकाह किस स्थान पर हुआ इस बाबत अभिवचन स्पष्ट नहीं है, यह अवश्य स्पष्ट किया है, कि अंतिम बार वादी प्रतिवादिनी लक्ष्मण तलैया गोहद में एक साथ रहे थे, ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारिता बाबत अवश्य खण्डन नहीं है, इसलिए इस न्यायालय में वाद प्रचलन योग्य अवश्य पाया जाता है।
11. चूंकि मुस्लिम विधि में दाम्पत्य संबंधी विवाद के बाबत सिविल वाद चलाया जा सकता है, इसलिए सिविल वाद के रूप में उक्त वाद प्रचलन योग्य अवश्य है, किंतु वाद मूल्यांकन और न्याय शुल्क संबंधी बिन्दु न्यायालय को भी देखना होते हैं, वादी द्वारा सोने चांदी के जेवरात पांच हजार रूपए नकद वापिसी की भी मांग की है, किंतु सोने चांदी के जेवरात का कोई मूल्यांकन नहीं किया है, मात्र सौ रूपए न्याय शुल्क अदा किया है, वह किस आधार पर किया है, इस बारे में न तो अभिवचन स्पष्ट है, न कोई साक्ष्य दी है, न ही तर्कों में स्थिति स्पष्ट की गई है, जबकि मेहर राशि और जेवरात की कीमत और बताए गए पांच हजार रूपए नकद को जोड़ते हुए वाद मूल्यांकन कर उस पर सारणी अनुसार न्याय शुल्क अदा किया जाना चाहिए था, जिसका भी प्रकरण में

अभाव है। निकाह कब हुआ था, इस बाबत भी अभिवचन और साक्ष्य में कोई स्पष्टता नहीं है। मुस्लिम विधि के अनुसार निकाह एक लिखित अनुबंध होता है, और उसमें मेहर राशि तय की जाती है, किंतु प्रकरण में वादी द्वारा कोई निकाहनामा ही पेश नहीं किया गया है, न ही यह स्पष्ट किया गया है, कि निकाह में मेहर राशि क्या तय हुई थी, और मेहर राशि तत्काल देना तय था, या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है, हालांकि यह दाम्पत्य संबंधों के पुर्नस्थापन में अवश्य बाधक नहीं है, किंतु जहां पति द्वारा दाम्पत्य संबंधों के पुर्नस्थापन हेतु पत्नी के विरुद्ध वाद लाया जाता है, जैसा कि वर्तमान वाद है, वहां न्यायालय इस आधार पर पति को अनुतोष देने से इन्कार कर सकता है, कि वह निकाह के अनुबंध के अंतर्गत पूरे किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन किए जाने में घोर रूप से विफल रहा है।

12. वर्तमान मामले में निकाहनामा के पेश न होने से निकाह संबंधी सिविल संविदा की शर्तें ही स्पष्ट नहीं की गई हैं, जबकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह की संविदा एक सिविल संविदा है, और दाम्पत्य संबंधों के पुर्नस्थापन संबंधी वाद विनिष्ट पालन के वाद की श्रेणी में आता है, जैसा कि न्याय दृ० **खुरशीद बेगम विरुद्ध अब्दुल रशीद अ०आई०आर०-1937 नागपुर पेज 139** में मार्गदर्शित किया गया है, जिसे देखते हुए चाही गई डिक्री हेतु निकाहनामा का पेश किया जाना प्रकरण के लिए अत्यंत आवश्यक था, जिसके अभाव में वांछित डिक्री एक पक्षीय रूप से भी प्रदान किए जाने योग्य नहीं है।

13. वादी द्वारा स्वयं मौखिक साक्ष्य में और अभिवचनों में घर में थोड़ा विवाद आपसी तौर पर होने की दशा में प्रतिवादिनी का अपने पिता को सूचना देकर उसके साथ चले जाना कहा है, अर्थात् यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है, कि प्रतिवादिनी अकारण उसे छोड़कर नहीं गई है। सर्वप्रथम तो निकाहनामा के अभाव में वादी प्रतिवादिनी वैध रूपेण पति पत्नी थे यही स्थापित नहीं होता है, जिसका प्रमाण भार वादी पर ही था, जिसे पूर्ण करने में वह असफल रहा है।

14. प्रकरण में आपसी पारिवारिक विवाद स्वयं वादी ने बताया है, जिससे यह उपधारणा भी निर्मित की जा सकती है, कि पत्नी के साथ क्रूरता की गई हो और क्रूरता की स्थिति में पति के निमंत्रण पर पत्नी का घर वापसी से इन्कार करना अनुचित नहीं माना जा सकता है, इससे भी यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादिनी अकारण दाम्पत्य संबंधों का परित्याग किए हुए है। ऐसी स्थिति में विचारणीय बिन्दु प्रमाणित करने में वादी एकपक्षीय रूप से पूर्णतः असफल है, इसलिए वह प्रस्तुत वाद के माध्यम से दाम्पत्य संबंधों के पुर्नस्थापन की डिक्री प्राप्त करने का पात्र होना कतई प्रमाणित नहीं है। फलतः वादी का वाद स्वीकार योग्य न होने से बाद विचार खारिज किया जाता है।

15. प्रकरण व्यय वादी स्वयं वहन करेगा जिसमें अभिभाषक

शुल्क प्रमाणित किए जाने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो उसका आधा जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक: 08 मार्च 2017

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)